प्रस्तावना:-

आधुनिककाल में विश्व की आबादी के साथ घोर लैंगिक असमानताओं का दिन, प्रतिदिन समाज, परिवेश, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल, शैक्षिक संस्थान, व्यवसायिक केन्द्र, राजनीति, परिवार, घर एवं खेल मैदान (संस्थाओं) में देखने को मिल रहा है। जबकि वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का गरिमामय स्थान प्राप्त था। स्त्री को देवी, सहधर्मिनी, अर्द्धांगिनी, सहचरी, माना जाता था।

मनुस्मृति में कहा गया था-

''यत्रनार्यस्तुपूज्यतेंरमन्ते तत्र देवताः। यतैतास्तु न पूज्यन्तेसर्वास्तताकलाः क्रियाः।।

अर्थात् जिस कुल में नारियों की पूजा होती है अर्थात् सत्कार होता है। उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य योग और उत्तम संतान होते है। और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहाँ उनकी सब क्रिया निष्फल हो जाती है। लेकिन आज का आधुनिक युग में महिलाओं की आधी आबादी के अनुसार उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। वे समाज में आखिरी पायदान में खड़े होकर अपने संघर्ष के साथ अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रही है। ''भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद (१४ से १८) में स्पष्ट वर्णित है कि सभी को समानता का अधिकार है।'' अनुच्छेद १५ कहता है कि कोई नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध है अर्थात् किसी भी धर्म का व्यक्ति, की मूलवंश या जाति, कोई लिंग (महिला पुरूष एवं अन्य) या किसी जगह जन्म लेने के आधार पर भेदभाव करना अपराध है। आधुनिक समय में महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है और समाज की पुरानी परम्पराओं, रूढ़ियों एवं रीति रिवाजों से अलग जाकर महिलाएँ आत्म निर्भर हो रही है। लेकिन भारत में पुरूष प्रधान सोच के कारण कई वर्षों से महिलाएँ प्रतिदिन प्रताड़ित एवं शोषित होती जा रही है।

अध्ययन का उद्देश्य:-

(१) मध्यप्रदेश में लैंगिक असमानता का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।

(२) समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिंग के आधार पर होने वाले अत्याचारों का अध्ययन।

(३) महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध का अध्ययन (मध्यप्रदेश) के विशेष संदर्भ में करना।

अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमा:-

प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश में लैंगिक असमानताओं को ज्ञात करने के लिए मध्यप्रदेश से ऑकड़ों को एकत्रित किया गया है।

अध्ययन विधि और ऑकड़ों का एकत्रीकरण:-

प्रस्तुत शोध पत्र में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अनुसंधान का मुख्य केन्द्र में लैंगिक चुनौतियॉ एवं महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव पर आधारित होने के कारण विगत कुछ वर्षों के

समाचार पत्र, शासकीय पत्र, मासिक पत्रिकाओं मध्यप्रदेश सरकार के शासकीय राजपत्रों एवं डायरियों में प्रकाशित आँकड़ों को एकत्रित किया गया था अध्ययन में निम्नलिखित चरों को शामिल किया गया।

ऑकड़ों का सारणीयन एवं विश्लेषण:-

मध्यप्रदेश विधान सभा में महिलाओं की संख्या -

महिला मंत्री - ३४ में से ०४ है।

(१) संसद सदस्यो की संख्या - २००९ में ०६, २०१४ में ०५ तथा २०१९ में ०४ थी।

(२) उच्च शिक्षा में महिलाएँ २०२२-२३

पुरूष (७४६४०६)/ महिला (८५५५७२) (mp higher educatio.in.com)

(०३) (अ) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में कुल ३० मुख्य न्यायाधीश बने जिसमें एक भी महिला नहीं है।

(ब) मध्यप्रदेश ३५ जजमें ०४ महिला जज है।

(०४) मध्यप्रदेश में कुल २१ विश्वविद्यालय है जिसमें १७ में पुरूष ०४ में महिला कुलपति है।

(Government mp.gov.in)

(०५) मध्यप्रदेश का लिंगानुपात-९३१ है जबकि भारत का ९४३ है।

(ब) अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले-मण्डला १००८, अलिराजपुर-१०११, बालाघाट-१०२१ (प्रति, १००० पुरूषों पर)

न्यूनतम लिंगानुपात जिला-भिण्ड-८३६ (प्रति, १००० पुरूषों पर)

(०६) साक्षरता दर (म.प्र.) पुरूष- ७८.७३ प्रतिशत, महिला-५९.२४ प्रतिशत

(०७) (अ) कुल ५२ जिलों में कलेक्टर- ४४ पुरूष एवं ०८ महिला।

(ब) आयुक्त १० संभाग में- ८ पुरूष एवं २ महिला।

(०८) कुल राज्यपाल २३/०३-सिर्फ ०३ महिला राज्यपाल बनीहै।

(०९) मुख्य सचिव ३३/०१-सिर्फ ०१ महिला मुख्य सचिव बनीहै।

(स) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी।

(१०) म.प्र. में पुलिस-कुल ८६,९४६ जिसमें महिला ४१९० है।

कुल भारत में १७२२७८६.८७

महिला १०५.३२५ (crpf.gov.in)

(११) महिला वकीलों की संख्या १६ प्रतिशत (१,१२,३९० वकील रजिस्टर्ड है) जिसमें १७ हजार ९९६ महिला वकील है।

(१२) देश में २५ उच्च न्यायालयों में ५६७ में ७७ महिला जज है। (bar counil of india)

(१३) विधानसभा अध्यक्ष म.प्र. १४/० एक भी महिला नहीं।

(१४) भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ०१ महिला जज २५ पुरूष जज

(१५) २५ (भारत के मुख्य न्यायाधीश) ०० कोई महिला नहीं

१८ बार मुख्यमंत्री में- ०१ बार महिला मुख्यमंत्री

(१६) गृहमंत्री -०

वित्त मंत्री - ०

स्वास्थ्य मंत्री - ०१

(१७) मध्यप्रदेश के कुल

(अ) कर्मचारी	४,५७,४४२	९४,२१७
(ब) डाक्टर	२९,८००	९,६००
(स) विधायक	२३०	२०
(द) शिक्षक	३,९५०००	२७६५००
(इ) आई.ए.एस.	३५४	५३
(फ) आई.पी.एस.	२५१	२६

(Dainik Bhaskar.com)

(१८) महिलाओं एवं बालिकाओं के ऊपर अपराध -

(३०४०६६ में ३०६७३ महिलाओं के साथ) रेप एवं गैंगरेप साल में ३५ केस जिस में पीड़िता की हत्या की गई। (म.प्र. ०३ नबर पे पूरेदेश में) दहेज हत्या में ७२१४ केस दर्ज किए गए (०३ नंबर पे म.प्र.) नाबालिक यौन उत्पीड़न में ३५१५ बच्चियॉं (२०२१) एवं (२०२२) ३२५९ बलात्कार में मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर ६४५९ केस

कुल अपराध में पूरे देश में ०४ नंबर पर (NCRB-2021)

(१९) लिंग स्कोर सूचांक में भारत १३५ नंबर		१४६ देश में २०२२
वैज्ञानिक लिंग अंतर सूचनांक १४० स्थान पर		१५६ देश(२०२१)
आर्थिक भागीदारी के अवसर १४३ स्थान पर		१५६ देश
शिक्षा की प्राप्ति १०७ स्थान पर		११४ देश
स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा १४६ स्थान पर		१५५ देश
राजनीत सशक्तीकरण ४८ स्थान पर		५१ देश

Score (WEF)

निष्कर्षः-

उक्त सभी आँकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करने के उपरांत हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव लैंगिकता के आधार पर किया जा रहा है। हर जगह महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है देश के संवैधानिक संस्था एवं प्रतिष्ठित पदों पर नाम मात्र महिलाओं को दिया गया है। जबकि महिलाओं की संख्या लगभग आधी है। केवल उच्च शिक्षा विभाग में महिलाओं की संख्या पुरूषों से ज्यादा है। जो बहुत ही आवश्यक है।

सुझावः-

प्रस्तुत अनुसंधान पत्र के आधार पर अनुसंधानकर्ता के निम्नलिखित सुझाव है-

(१) लिंग परीक्षण कानूनों को अत्यधिक कड़ा एवं आवश्यकता पड़ने पर कठोर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए।

(२) बालिकाओं के प्रति अपराध से बचाने के लिए समाज, परिवार, अभिभावकों को इसके बारे में अवगत कराना चाहिए।

(३) महिलाओं के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए।

(४) महिलाओं के शिक्षा एवं रोजगार मूलक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तीकरण करना चाहिए।

(५) कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए।

(६) भारत लैंगिक असमानता की सूची में १३५ वें स्थान पर(१४६ देश) पर है। हमें जिससे वह भयमुक्त होकर लैंगिक चुनौतियों का सामना करते हुए आर्थिक रूप् में सक्षम शैक्षणिक रूप से मजबूत, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा को सशक्त कर सके उनको राजनीति के लिए भी छूट देनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. The world ecomomic forum *(www.wepourm.org)* colony switzerland 2022.
2. National crime record Beuro *(NCrb, gov*.in) 2022.
3. *मनुस्मृति* (तृतीय अध्याय) ३/५६
4. गुप्ता डॉ. हनुमान प्रसाद (२००६)*"नारी एवं बालविधि"* इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन, प्रयागराज (उ.प्र. page 104
5. *http:// governor m.p.gov.in*
6. *http:// www.diaxy .mp.gov.in*
7. *http:// Indian xpress.com*
8. *http:// highereducation.mp.gov.in*
9. *http:// www.goal.mp.gov.in*
10. Kohli sugandha (2017) "*Gender Irequality in India*" Journal of Humanities and social studies. Volume 3. Issue-4 January 2017 page 178-185.
11. चाहिल मनोज कुमार (२०१७) *''समकालीन परिदृश्य समाज में व्याप्त जेण्डर आधारित असमानताओं का सामना लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा और उनका सर्वांगीण विकास''* शिक्षक शिक्षा विभाग। शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा, उत्तराखण्ड मुक्तविश्वविद्यालय, हलद्वानी पेज नं. १९ से ३८

.....